न्यायालयः- गिरीश पाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार

जिला- बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

//विविध आदेश (कार्य विभाजन)//

क्रमांक- क्यू./मु.न्या. मजि./2026 बलौदाबाजार, दिनांक 15.01.2026

मैं **गिरीश पाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार, छ०ग०** दाण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 (1) एवं 13(2) में प्रदत्त प्रावधान के तहत माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय [illegible] माननीय [illegible] बलौदाबाजार के अधीन [illegible] में रहते हुए, राजस्व/सिविल जिला बलौदाबाजार में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा एवं कसडोल के मध्य, दाण्डिक प्रकरणों एवं संबंधित कार्यों का विभाजन निम्नानुसार करता हूं, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बलौदाबाजार, छ०ग० के अनुमोदन पश्चात तत्काल प्रभावशील होगाः-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
01	गिरीश पाल सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार [illegible]	1. थाना सिटी कोत० बलौदाबाजार 2. चौकी करहीबाजार	1. थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, चौकी करहीबाजार के क्षेत्राधिकार से [illegible] दाण्डिक/प्राईवेट परिवाद [illegible] अपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना, पुलिस चौकी करहीबाजार [illegible] बलौदाबाजार [illegible] उन मामलों को छोड़कर, जिनका सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. [illegible] बलौदाबाजार [illegible] उत्पन्न तथा प्राप्त अभियुक्तों के मामले 4. नगरपालिका, बलौदाबाजार द्वारा [illegible] नगरपालिका अधिनियम [illegible] सभी दाण्डिक मामलों [illegible]

		5. बलौदाबाजार मुख्यालय एवं चौकी करहीबाजार से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत्, प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 6. बलौदाबाजार थाना एवं चौकी करहीबाजार क्षेत्र से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना। 7. यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत बलौदाबाजार तहसील से उत्पन्न समस्त मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिसके संज्ञान का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 8. बलौदाबाजार एवं चौकी करहीबाजार क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत् समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 9. बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामलों का निराकरण करना। 10. माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 1576/तीन-6-6/ 2001, बिलासपुर दिनांक 13 मार्च, 2007 के अनुसार राजस्व जिला बलौदाबाजार से उत्पन्न (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, (2) विदेशी व्यापार (विकास और विनिमय) अधिनियम 1992, (3) कम्पनी अधिनियम 1956, (4) धनकर

			धनकर अधिनियम 1957, (5) दानकर अधिनियम 1958, (6) आयकर अधिनियम 1961 (7) सीमा शुल्क अधिनियम, (8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963, (9) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, (10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 एवं (11) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 एवं पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित मामलों का निराकरण करना। 11. जिले के समस्त आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280-ए एवं The Black Money (Undisclosed Foreign Income & Asset) and Imposition of Tax Act की धारा 84 के तहत् पेश प्रकरण। 12. जिले के समस्त खारिजी प्रकरण एवं आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण। 13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, माननीय उच्च न्यायालय, छ०ग० व माननीय सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार द्वारा समय-समय पर, सौंपे गये समस्त मामलों/कार्यों का निराकरण करना।
02.	प्रशांत कुमार भास्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदाबाजार, छ०ग०	1. थाना लवन	1. थाना लवन के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित आबंटित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन

			मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. थाना लवन से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 4. थाना लवन के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना। 5. थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार लवन एवं चौकी करहीबाजार क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत् प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना। 6. थाना लवन क्षेत्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण। 7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत् समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 8. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
03.	सुश्री श्वेता मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल, छ०ग०	1. थाना कसडोल 2. चौकी सोनाखान 3. थाना राजादेवरी 4. चौकी बया 5. थाना गिधौरी 6. चौकी गिरौधपुरी	1. थाना कसडोल, चौकी सोनाखान, थाना राजादेवरी, चौकी बया, थाना गिधौरी, चौकी गिरौदपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन

	आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आबंटित थाना/चौकी के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. थाना कसडोल, चौकी सोनाखान, थाना राजादेवरी , चौकी बया , थाना गिधौरी, चौकी गिरौदपुरी से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 4. थाना कसडोल, चौकी सोनाखान, थाना राजादेवरी , चौकी बया , थाना गिधौरी, चौकी गिरौदपुरी से संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना। 5. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत् प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना। 6. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण। 7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत् समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।

			8. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
04.	श्रीमति अंकिता मदनलाल गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाटापारा, छ०ग०	थाना भाटापारा शहर	1. थाना भाटापारा शहर क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आबंटित थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. थाना भाटापारा शहर से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 4. थाना भाटापारा शहर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना। 5. थाना भाटापारा शहर क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत् प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना। 6. यातायात पुलिस भाटापारा द्वारा प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिसके

			संज्ञान का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण। 8. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत् समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 9. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
05.	श्रीमती योगिता जांगड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिमगा, छ0ग0	1. थाना सिमगा 2. थाना हथबंध 3. थाना सुहेला	1. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंध के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आबंटित थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंद से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 4. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंद से संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न

			समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना। 5. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंद क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत् प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना। 6. यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिसके संज्ञान का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण। 8. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत् समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 9. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
06.	कु० सारिका नंदे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदाबाजार, छ०ग०	1. थाना पलारी	1. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, चौकी करहीबाजार, आरक्षी केन्द्र पलारी, थाना गिधपुरी, थाना लवन के क्षेत्राधिकारिता से उद्भुत होने वाले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क, 354, 354 (क) (ख) (ग) (घ), 509 के पूर्व में संस्थित तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 74, 75, 76, 77, 78, 79 से संबंधित समस्त रिमाण्ड सहित इस धारा के अधीन के प्रकरणों की सुनवाई सहित आरोप पत्र एवं खात्मा स्वीकार करने एवं विचारण की अधिकारिता। 2. थाना सिटी कोतवाली

			पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत् समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 10. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
07.	श्रीमती अंकिता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाटापारा, छ०ग०	1. थाना भाटापारा ग्रामीण 2. चौकी निपनिया	1. थाना भाटापारा ग्रामीण एवं चौकी निपनिया क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आबंटित थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. थाना भाटापारा ग्रामीण एवं चौकी निपनिया से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 4. थाना भाटापारा ग्रामीण एवं चौकी निपनिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना। 5. थाना भाटापारा ग्रामीण एवं चौकी निपनिया क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत् प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना। 6. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से

		बलौदाबाजार, पलारी, गिधपुरी, लवन तथा चौकी करहीबाजार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घरेलू हिंसा से महिलओं की संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरणों से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही।
		3. थाना पलारी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।
		4. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।
		5. थाना पलारी से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।
		6. थाना पलारी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।
		7. थाना पलारी क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत् प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।
		8. थाना पलारी क्षेत्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण।
		9. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम,

			उद्भूत खात्मा प्रकरण। 7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत् समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 8. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
08.	सुश्री माला यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बलौदाबाजार, छ०ग०	-	1. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
09.	सुश्री पूजा चन्द्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बलौदाबाजार, छ०ग०	1. थाना गिधपुरी	1. थाना गिधपुरी क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आबंटित थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. थाना गिधपुरी से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 4. थाना गिधपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण

अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।

5. थाना गिधपुरी क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत् प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।

6. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण।

7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत् समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।

8. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।

15/01/20

(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)

अनुमोदित

Principal District & Session Judge
Baloda Bazar (C.G.)

न्यायालयः– गिरीश पाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार,

जिला– बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

//विभाजन आदेश संबंधी आवश्यक निर्देश//

1. बलौदाबाजार जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , माननीय सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार को सूचित करते हुए मोटरयान संबंधित चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

2. बलौदाबाजार मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य न्यायालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मोटरयान संबंधित चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

3. धारा 164 द.प्र.सं. /बीएनएसएस की धारा 183 के तहत् साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52(क) और नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जप्ती भण्डारण नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के नियम 18 के तहत् जप्त सामग्री की प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ और नमूने को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट "ए" एवं "बी" के अनुसार दर्ज करेंगे।

4. संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले खात्मा कार्यवाही करेंगे तथा खारिजी संबंधित कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

5. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर, उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था , परिशिष्ट **"सी"** के अनुसार संपादित किया जायेगा।

6. ऐसे अन्य मामले जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में उल्लेख नहीं है, उसका निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार द्वारा किया जायेगा।

7. अन्य प्रकार के शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में , मुख्यालय में पदस्थ मुख्य/वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे और कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो वहां परिशिष्ट "सी" के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

8. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में, उनके थाना क्षेत्रों से उत्पन्न संक्षिप्त विचारण द्वारा निराकृत किये जा सकने योग्य प्रकरण, उनके अवकाश पर, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, परिशिष्ट "सी" के अनुसार, प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जा सकेंगे।

9. अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित आपसी सामांजस्य रखकर प्रभार में रहने वाले परिशिष्ट "सी" के मजिस्ट्रेट (कार्य उत्तरवर्तीय) को अवकाश की लिखित एवं मौखिक (टेलीफोन से या अन्यथा) सूचना अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व अनिवार्यतः देंगे।

10. यह दाण्डिक कार्य विभाजन माननीय जिला न्यायाधीश, बलौदाबाजार द्वारा अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

11. परिशिष्ट "सी" में दिये गये क्रमांक एवं विशिष्टियों को उनके निरंतरता के क्रम में पढ़ा जावेगा।

अनुमोदित।

Principal District & Session Judge
Baloda Bazar (C.G.)

15/01/26

(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)

न्यायालयः– गिरीश पाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार

जिला– बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

//विविध आदेश//

क्रमांक–क्यू–1/मु.न्या. मजि./2026 बलौदाबाजार, दिनांक 15.01.2026

परिशिष्ट "ए"

धारा 183 बीएनएसएस /धारा 164 द. प्र.सं. के तहत् संस्वीकृतियां और कथन अंकित करना		
क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01.	श्रीमति अंकिता मदनलाल गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाटापारा	1. थाना सुहेला
02.	अंकिता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाटापारा	1. थाना हथबंध 2. थाना सिमगा
03.	कु. सारिका नंदे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना कसडोल 2. चौकी सोनाखान
04.	सुश्री श्वेता मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसडोल	1. पलारी 2. गिधपुरी
05.	श्रीमती योगिता जांगड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिमगा	1. भाटापारा शहर 2. भाटापारा ग्रामीण 3. चौकी निपनिया
06.	कु. माला यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना राजादेवरी, 2. चौकी बया 3. थाना लवन
07.	कु. पूजा चन्द्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार 2. चौकी करहीबाजार 3. थाना गिधौरी 4. चौकी गिरौधपुरी

नोट- पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से **परिशिष्ट** "सी" में उनके सन्मुख उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 183 बीएनएसएस/ धारा 164 द.प्र.सं.की के तहत् संस्वीकृतियां और कथन को अंकित किया जायेगा।

15/01/26

(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)

अनुमोदित

Principal District & Session Judge
Baloda Bazar (C.G.)

न्यायालयः- गिरीश पाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार

जिला- बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

//विविध आदेश//

क्रमांक-क्यू-2/मु.न्या. मजि./2026 बलौदाबाजार, दिनांक 15.01.2026

परिशिष्ट "बी"

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52(क) और नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जप्ती भण्डारण नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के नियम 18 के तहत् अल्पमात्रा से संबंधित जप्त सामग्री की प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ और नमूने को संरक्षित करना

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	श्री प्रशांत कुमार भास्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना राजादेवरी, 2. चौकी बया
2.	श्रीमति अंकिता मदनलाल गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाटापारा	3. थाना हथबंध 4. थाना सिमगा
3.	सुश्री श्वेता मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसडोल	1. पलारी 2. गिधपुरी
4.	श्रीमती योगिता जांगड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिमगा	1. भाटापारा शहर 2. भाटापारा ग्रामीण 3. चौकी निपनिया
5.	कु. अंकिता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाटापारा	1. थाना सुहेला
6.	कु. सारिका नंदे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना गिधौरी 2. चौकी गिरौधपुरी
7.	कु. माला यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना लवन 2. थाना कसडोल 3. चौकी सोनाखान
8.	कु. पूजा चन्द्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार 2. चौकी करहीबाजार

नोट- विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) में विचारण योग्य प्रकरणों में जप्त सामग्री का नमूना संरक्षण की कार्यवाही आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जायेगा।

15/01/26

(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)

अनुमोदित।

Principal District & Session Judge
Baloda Bazar (C.G)

न्यायालयः- गिरीश पाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार

जिला- बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

//विविध आदेश//

क्रमांक-क्यू-3/मु.न्या. मजि./2026 बलौदाबाजार, दिनांक 15.01.2026

परिशिष्ट "सी"

क्र.	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गिरीश पाल सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री प्रशांत कुमार भास्कर जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० माला यादव जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० पूजा चन्द्रा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०
2.	श्री प्रशांत कुमार भास्कर जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० माला यादव जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० पूजा चन्द्रा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री गिरीश पाल सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छ०ग०
3.	सुश्री श्वेता मिश्रा जे०एम०एफ०सी० कसडोल, छ०ग०	श्री प्रशांत कुमार भास्कर जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० माला यादव जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० पूजा चन्द्रा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०
4.	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० माला यादव जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० पूजा चन्द्रा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री प्रशांत कुमार भास्कर जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री गिरीश पाल सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छ०ग०
5.	श्रीमती योगिता जांगड़े जे०एम०एफ०सी० सिमगा, छ०ग०	कु० अंकिता मदनलाल गुप्ता जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छ०ग०	श्रीमती अंकिता अग्रवाल जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छ०ग०	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री प्रशांत कुमार भास्कर जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०
6.	कु० अंकिता मदनलाल गुप्ता जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छ०ग०	श्रीमती अंकिता अग्रवाल जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छ०ग०	कु० माला यादव जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० पूजा चन्द्रा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री प्रशांत कुमार भास्कर जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०
7.	श्रीमती अंकिता अग्रवाल जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छ०ग०	कु० अंकिता मदनलाल गुप्ता जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छ०ग०	कु० पूजा चन्द्रा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० माला यादव जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०

PTC.

8.	सुश्री माला यादव जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	सुश्री पूजा चन्द्रा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री प्रशांत कुमार भास्कर जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री गिरीश पाल सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छ०ग०
9.	सुश्री पूजा चन्द्रा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	सुश्री माला यादव जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री प्रशांत कुमार भास्कर जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छ०ग०	श्री गिरीश पाल सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छ०ग०

टीपः–

1. परिशिष्ट "सी" के स्तंभ क्रमांक 5 में दर्शित न्यायिक अधिकारी की अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में जिले में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आवश्यक कार्य संपादित करेंगे।
2. ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश में रहने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाये कि कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिमाण्ड आदि कार्य हेतु उपस्थित रहेंगे।
3. अवकाश आवेदन पत्र प्रेषित करते समय उनके कार्य को देखने वाले संबंधित अधिकारी को संसूचित अवश्य किया जाये।
4. बलौदाबाजार/भाटापारा में अत्यावश्यक स्थिति को छोड़कर वहां पदस्थ मजिस्ट्रेट में से एक रिमाण्ड कार्य हेतु मुख्यालय/कार्यस्थल में उपस्थित रहेंगे।
5. किसी भी अवकाश के लिए संबंधित पश्चातवर्ती मजिस्ट्रेट से मौखिक सहमति लेते हुए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

15/01/25

(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)

अनुमोदित।

Principal District & Session Judge
Baloda Bazar (C.G)

(28)

क्रमांक-15 /मु.न्या. मजि./2026 बलौदाबाजार, दिनांक 15.01.2026

प्रतिलिपिः-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को अनुमोदन एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित;
3. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
4. माननीय विशेष न्यायाधीश (FTC) बलौदाबाजार, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
5. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, भाटापारा, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
6. कायार्लय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
7. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित;
8. श्री/श्रीमती/सुश्री/... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलौदाबाजार/कसडोल/ सिमगा/भाटापारा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित;
9. श्रीमान् कलेक्टर, बलौदाबाजार, छ०ग० को अपने अधिनस्थ समस्त विभागों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
10. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार, छ०ग० को अपने अधिनस्थ समस्त थाना/चौकी के प्रभारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
11. वन मण्डलाधिकारी, जिला बलौदाबाजार को अपने अधिनस्थ रेंज प्रभारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
12. मण्डल प्रबंधक, बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर, छ०ग० राज्य वन विकास निगम को अपने अधिनस्थ रेंज प्रभारियों के मध्य आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
13. जिला आबकारी अधिकारी की ओर सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित;
14. श्रीमान् अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / कसडोल, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित;
15. जिला अभियोजन अधिकारी, बलौदाबाजार, छ०ग० को जिला बलौदाबाजार में कार्यरत समस्त अभियोजन अधिकारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
16. सहायक प्रोग्रामर, बलौदाबाजार की ओर कार्य विभाजन आदेश को कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित;
17. रजिस्ट्रार, सेंट्रल फाईलिंग सेक्शन बलौदाबाजार, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित।

Girish 15/01/26

(गिरीश पाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)

<u>कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, (छ0ग0)</u>

//कार्यवितरण आदेश संशोधन प्रथम//

क्रमांक 183/एक–15–4/2013 बलौदाबाजार, दिनॉक 18/08/2026

मैं, विनीता वार्नर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार (छ0ग0), सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं धारा 21 (3)(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व में इस हेतु जारी आदेश को अतिष्ठित करते हुए इस स्थापना में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने की दशा में अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में अतिआवश्यक सिविल कार्य नामांकित कॉलम में उनके समक्ष अंकित न्यायालयों को विधि अनुसार कार्य संपादित करने हेतु आगामी आदेश पर्यन्त के लिए अधिकृत करती हूँ –

सरल क.	न्यायालय जिसके न्यायाधीश अवकाश पर हो	न्यायाधीश के अवकाश या अनुपस्थित होने अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में अतिआवश्यक सिविल कार्य करने हेतु अधिकृत न्यायालय/ Link Judicial Officer	
1	2	3	4
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बलौदाबाजार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार।
2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बलौदाबाजार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार।
3	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बलौदाबाजार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश
4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश
5	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश
6	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भाटापारा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बलौदाबाजार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार
7	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कसडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान - सिमगा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भाटापारा।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बलौदाबाजार
9	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बलौदाबाजार स्थान भाटापारा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भाटापारा।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बलौदाबाजार
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बलौदाबाजार के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार

<u>टीप:– पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में कॉलम 3 एवं 4 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के भी अनुपस्थित रहने पर जिला स्थापना में पदस्थ वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।</u>

समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी को निर्दिष्ट किया जाता है कि **"इस कार्यालय के पृ0क0 1602/एक–15–04/2013 दिनांक 09.11.2023 के साथ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के ज्ञापन कमांक 14754/D&A/2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 एवं कार्यालय के पृ0क0 1647/एक–15–04/2013 दिनांक 24.11.2023 के साथ** Corrigendum No. 15250/D&A/2023 Bilaspur dated 23-11-2023 **एवं कार्यालय के पृ0क0 1672/एक–15–04/2013 दिनांक 30.11.2023 के साथ** Memo No. 15520/D&A/2023 Bilaspur dated 29-11-2023 **आपकी ओर प्रेषित किया गया है माननीय उच्च न्यायालय के उक्त ज्ञापनों के निर्देशित अनुसार अक्षरशः कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें** तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जब भी वे अवकाश या दीर्घकालीन अवकाश या ग्रीष्मावकाश/शीतकालीन अवकाश आवेदन, आवेदित करें तो, **Link Judicial Officer** के द्वारा कार्य किये जाने हेतु, उनके उत्तराधिकारी पीठासीन अधिकारी उपलब्ध हो। रिमाण्ड आदि के कार्य के संपादन के दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जावे कि कम से कम एक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिला मुख्यालय में प्रतिदिन अवकाश आदि में उपस्थित रहें।

यह आदेश, तत्काल प्रभावशील होगा।

18/8/2026

(विनीता वार्नर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)

कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, (छ0ग0)

//कार्य वितरण आदेश (संशोधन प्रथम)//

क्रमांक **183**/एक–15–4/2013 बलौदाबाजार, दिनॉक 18.08.2026

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के आदेशानुसार Shri Dwijendra Nath Thakur, IInd Civil Judge Senior Division Balodabazar का इस न्यायिक जिला स्थापना में स्थानांतरण पर पदस्थापना होने एवं नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी Smt. Shweta Diwan, IIIrd Add. Judge to the Court of Ist Civil Judge Junior Division Balodabazar की पदस्थापना होने के फलस्वरूप, कार्यालय के वर्ष 2026 हेतु जारी कार्यवितरण आदेश क्रमांक 01/एक/15–04/2013 बलौदाबाजार दिनांक 01.01.2026 में निम्नलिखित संशोधन प्रथम किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा :–

□□ कार्यवितरण आदेश 01/एक/15–04/2013 बलौदाबाजार दिनांक 01.01.2026 के सारिणी की सरल क्रमांक 12 के स्तंभ क्रमांक 4 की उपकंडिका 01 में लिखित शब्द **"रिक्त न्यायालय"** को विलोपित कर उसके स्थान पर नवीन उपकंडिका क्रमशः 01 एवं 02 समाविष्ठ कर उपकंडिका 01 में **"स्थानांतरित किये गये व्यवहार वादों से उत्पन्न माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों का कियान्वयन"** एवं उपकंडिका 02 में **"अन्य कार्य जो समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे जायें"** शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाता है।

□□ कार्यवितरण आदेश 01/एक/15–04/2013 बलौदाबाजार दिनांक 01.01.2026 के सारिणी की सरल क्रमांक 19 के पश्चात् नवीन कंडिका 20 प्रतिस्थापित किया जाता है तथा नवीन कंडिका 20 के स्तंभ क्रमांक 01 में **"प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बलौदाबाजार के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश बलौदाबाजार"** एवं उसके आगे स्तंभ कमांक 04 नवीन उपकंडिका क्रमशः 01 एवं 02 समाविष्ठ कर उपकंडिका 01 में **"स्थानांतरित किये गये व्यवहार वादों से उत्पन्न माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों का कियान्वयन"** एवं उपकंडिका 02 में **"अन्य कार्य जो समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे जायें"** शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाता है।

कार्यवितरण आदेश 01/एक/15–04/2013 बलौदाबाजार दिनांक 01.01.2026 में उपरोक्त संशोधन को छोड़कर **शेष आदेश यथावत** रहेगा।

18/8/2026

(विनीता वार्नर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बलौदाबाजार (छ.ग.)

क्रमशः....